छात्रावास

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र

पत्र क्रमांक   दिनांक: 07-10-2023

नीलामी सूचना

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के छात्रावासों में पडे नकारा व पुराने सामान व यन्त्रों (ई-कचरे को छोडकर) की नीलामी "जहॉं है जैसा है" के आधार पर 15.10.2023 (रविवार) को दोपहर 11:30 बजे की जाएगी।

1. अनुमानित सामान	:	मेटल (मुख्यतः लोहा) - 6000 Kg (लगभग)
		नान मेटल – 1000 Kg (लगभग)
2. सामान निरीक्षण का समय	:	सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक
3. अग्रिम राशि जमा करवाने का समय	:	सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक
4. नीलामी का समय	:	दोपहर 11:30 बजे से ।

अग्रिम राशि का भुगतान केवल वार्डन अभिमन्यु भवन के अकांउट में NEFT/ONLINE के रूप में होगा, नकद राशि को स्वीकार नही किया जाएगा। सफल बोलीदाता का निर्धारण सभी बोलियों के अंत मं अधिकतम संपूर्ण राशि के आधार किया जाएगा। सफल बोलीदाता को "हथौडे के स्ट्रोक"(प्रतीकात्मक) के तुरन्त बाद बोली की कुल राशी का, जी.एस.टी सहित, 100 प्रतिशत जमा करवाना होगा। नीलामी में केवल वही स्क्रैप-डीलर/पार्टनर/अधिकृत-व्यक्ति हिस्सा ले पायेंगें जिनके पास कंपनी लैटर हैड पर स्वामित्व के प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की मूल प्रति और इनकी एवं नियम व शर्तो की स्वप्रमाणित प्रति होगी जो बोली से पूर्व संस्थान में जमा कर ली जाऐंगी। उक्त दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश अस्वीकार कर दिया जाएगा। नीलामी के नियम व शर्तो के लिए संस्थान की वेबसाईट www.nitkkr.ac.in पर जाऐं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में संस्थान के चीफ वार्डन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

छात्रावास

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र

पत्र क्रमांक   दिनांक: 07-10-2023

नियम व शर्ते

1. ई-कचरे को छोडकर अन्य नकारा व पुराने सामान व यन्त्रों को **जहाँ है जैसा है** के आधार पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा।
2. नीलामी, ढेर/लौट के आधार पर की जाएगी।
3. प्रत्येक स्क्रैप-डीलर/पार्टनर/अधिकृत-व्यक्ति के पास कंपनी लैटर हैड पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड, मूल रूप में और इनकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति होना आवश्यक है,जो संस्थान में जमा कर ली जाऐंगी। उक्त प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में होस्टल प्रशासन किसी भी आवेदक के प्रवेश को अस्वीकर कर सकते हैं।
4. अग्रिम रशि का भुगतान केवल, वार्डन अभिमन्यु भवन के अकांउट में NEFT/ONLINE के रूप में होगा। अग्रिम राशि केवल सफल बोलीदाता को छोडकर बाकी सभी को लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा जमा अग्रिम राशी, माल उठाने तक/पेमेन्ट अदायगी तक सुरक्षित रखी जाएगी।
5. प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी से पूर्व 10000/- (दस हजार रूपये), बतौर अग्रिम राशि संस्थान में जमा करवाने होंगे।
6. क्यूंकि नीलामी के माल की कीमत छोटी अनुमानित हो रही है, अत: उच्चतम बोलीदाता को **"हथौडे के स्ट्रोक"** (प्रतीकात्मक) के तुरन्त बाद बोली की कुल राशी का, जी.एस.टी सहित, 100 प्रतिशत जमा करवाना होगा, ऐसा न करने पर संस्थान में जमा अग्रिम राशी जब्त की जा सकती है।
7. आवश्यकता पडने पर स्क्रैप/माल हटाने के लिए जरूरी लेबर, हैवी फोर्कलिफटर/क्रैन या वेल्डिंग कटर आदि के प्रबन्ध व भुगतान की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
8. बोली की स्वीकृति के बाद माल की जिम्मेदारी बोलीदाता ही होगी एंव संस्थान से माल अधिकतम सात दिनो के भीतर उठाना होगा। माल न उठाने की स्थिति में संस्थान में जमा राशी जब्त कर ली जाएगी और अगले उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकृति हेतु ऑॅफर कर ली जाएगी।
9. सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मॉॅल गेट पास जारी होने के बाद ही उठाया जाएगा।
10. सेल्स टैक्स/ जी.एस.टी यदि देय है, की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। माल की डीलीवरी, टैक्स की पेमेण्ट की अदायगी के बाद ही होगी।
11. नीलामी को निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरा करने की कोशिश की जाएगी । यदि इसे पूरा नही किया जा सका तो आगे बढाया जा सकता है।
12. छात्रपाल बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार या नीलामी को रद्द कर सकते हैं।
13. बोली के आबंटन के सभी अधिकार छात्रपाल (होस्टल) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के पास सुरक्षित है।
14. किसी भी विवाद के मामले में छात्रपाल (होस्टल) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र का निर्णय अंतिम होगा।